

सं.ई-13011/10/2020-ति.प्र.रि./हिंदी/279-319

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग (हिंदी अनुभाग)

कमरा संख्या - 906 (दक्षिण),
सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम,
नई दिल्ली -110066
दिनांक 31 दिसम्बर, 2020

कार्यालय जापन

विषय: 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर समय पर भिजवाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 142^{वीं} बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया था कि सभी अनुभागों/निदेशालयों से तिमाही समाप्त होने के 10 दिन के अंदर तिमाही प्रगति रिपोर्ट अवश्य मंगा ली जाए, ताकि मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तिमाही के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोजित की जा सके।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट हिन्दी अनुभाग को 11 जनवरी, 2020 तक अवश्य भिजवा दी जाए।

(रजिन्दर पॉल)

उप निदेशक (राजभाषा)

बी पी एल: 3720

1. निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय / जल आयोजन एवं परियोजना/ अभिकल्प एवं अनुसंधान निदेशालय केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. सभी अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सभी सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
3. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता :

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. : एस.टी.डी कोड..... **फोन नं.** **ई-मेल:**

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

[इनमें संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद में रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागजात, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचनानिविदा प्रपत्र, नोटिस आदि शामिल हैं, जिन्हें द्विभाषी रूप में ही जारी किया जाए]

(क) जारी कागजात की कुल संख्या :

(ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या :

(ग) केवल हिन्दी में जारी किये गये कागजात :

(घ) केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात :

2. हिंदी में प्राप्त पत्र [राजभाषा नियम - 5 (लक्ष्य 100%)]

[राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।]

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या :

(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए :

(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए :

(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे :

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

क्षेत्र	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या =3+4+5	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे	हिन्दी में उत्तरित पत्रों का प्रतिशत =3×100/(2-5)
1	2	3	4	5	6
'क' क्षेत्र से					
'ख' क्षेत्र से					

4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्योरा :-

क्षेत्र	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या =2+3	हिन्दी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत =2×100/4	पिछले तिमाही का प्रतिशत	प्रगति प्रतिशत में =5-6	
						वृद्धि	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8
'क' क्षेत्र को							
'ख' क्षेत्र को							
'ग' क्षेत्र को							

क क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।

ख क्षेत्र : महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब राज्य और चण्डीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

ग क्षेत्र : क और ख क्षेत्रों में शामिल न किए गए सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड :

वित्तीय वर्ष : **2020-2021**

"मैं यह प्रमाणित करता हूं कि संलग्न 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-1/2) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की ज़िम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम :

पदनाम :

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर :

फैक्स नम्बर :

ई-मेल का पता :

तिथि:-

स्थान:-

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए, अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।